विधानसभा / महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 86 /वि.स. /2025 अटल नगर, दिनांक/14 /02/2025

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़

2. **रजिस्ट्रार,**
   छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद
   प्रतितोषण आयोग, रायपुर

विषयः– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1082 अतारांकित द्वारा श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य विधानसभा।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1082 अतारांकित की प्रति संलग्न है। उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के उत्तर यूनिकोड फॉन्ट में पूरक जानकारी सहित दिनांक **17.02.2025** तक ई–मेल के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें। उत्तर के परिशिष्ट एक पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई–मेल **(dirfood.cg@nic.in/directorateoffood@gmail.com)** के माध्यम से परिशिष्ट की जानकारी यूनिकोड फॉन्ट में हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)

संलग्न–उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, रायपुर

पृ.क्रमांक– 87 /वि.स./2025 अटल नगर, दिनांक/14 /02/2025

प्रतिलिपि :–

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय–सीमा में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **25/02/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **04/03/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **छत्तीसगढ़ प्रदेश में उपभोक्ता के न्यायालयीन प्रकरणों पर कार्यवाही**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **1082**) **श्रीद्वारिकाधीश यादव**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2025 की अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त शिकायत, उपभोक्ता न्यायालयीन प्रकरण की संख्या जिलावार बतायें? (ख) प्रश्नाश 'क' के मामलों में की गई कार्यवाही की जानकारी जिलावार, बतायें? (ग) जिला स्तर पर उपभोक्ता न्यायालयीन समितियों की वर्तमान संरचना क्या है? पूर्व में समिति संरचना व वर्तमान में क्या परिवर्तन किया गया है एवं किस कारण? बतायें ? (घ) 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में जिला स्तरीय समिति सदस्य की जानकारी जिलावार बतायें ?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 14/02/2025 11:05:16 |	
Remark :	

राज्य उपभोक्ता आयोग
समस्त कलेक्टर